राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांकः एफ. 55( )अभियां./सीई/डीएलबी/2017/सड़क निर्माण/2846-3076 दिनांक : 13.10.2017

1. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)
2. जिला कलेक्टर्स (समस्त)।
3. आयुक्त,
   नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर,
   कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।

विषय : नगरीय निकाय क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य कराने बाबत।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य के समस्त स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सुधार (Road Restoration) कार्य करवाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि खराब/क्षतिग्रस्त सड़कों का नगर निकाय स्तर पर आंकलन किया जावे एवं इन क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति में अविलम्ब सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्य आवश्यक रूप से करवाये जावें। इसी क्रम में नगरीय निकाय क्षेत्रों मे सडक सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Road Repair/ Renovation) एवं **सड़क निर्माण कार्यो को त्वरित रूप से क्रियान्वित करने के लिए RUDSICO को कार्यकारी एजेन्सी** नियुक्त किया जाता है। उक्त सड़क कार्यो के लिये स्वायत्त शासन विभाग प्रशासनिक विभाग होगा।

सड़क निर्माण/सड़क रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

1. सड़क निर्माण/मरम्मत/रिनोवेशन कार्यो की प्राथमिकता का निर्धारण निकाय क्षेत्र के संबंधित माननीय विधायक एवं निकाय के महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा आपसी विचार–विमर्श उपरान्त किया जायेगा एवं प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलेक्टर के माध्यम से विभाग को प्रेषित किये जायेंगे।
2. जिन क्षतिग्रस्त/खराब (Damage) सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य करवाया जाना है, नगर निकायों में कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ताओ द्वारा उन सड़को की हिस्ट्री एवं मरम्मत कार्य का पूर्ण विवरण, लोकेशन/साईट प्लान, फोटोग्राफ्स एवं कार्य

Scanned by CamScanner

के तकनीकी अनुमान (Detailed Eastimate) तैयार कर लिये जावे। तकनीकी अनुमान में रोड़ साईनेजेज, कैट आईज व रोड़ लाईनिंग इत्यादि आईटम भी शामिल किये जावे।

3. सम्बन्धित नगर निकायों के लिये सड़क निर्माण एवं सड़क सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्यो हेतु विस्तृत तकमीने (Detailed Estimate) सम्भाग/ जिला स्तर पर ही तैयार किये जावें एवं निविदा प्रपत्र का विस्तृत प्रारूप भी RUIDP SOR-2017 के आधार पर सम्भागीय/जिला स्तर पर ही तैयार किया जावेगा। नगर पालिकायें वर्तमान में लागू RUIDP SOR-2017 के आधार पर अनुमान तैयार कर सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर PD(UI), RUDSICO को दिनांक 27.10.2017 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जावें।

4. सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य में आंतरिक व मुख्य सड़कों को सम्मिलित किया जावे। सड़क की प्रकृति (Same Nature) के अनुसार ही निर्माण/मरम्मत कार्य करवाये जावें। मरम्मत कार्य में क्षतिग्रस्त नाली व फुटपाथ को भी शामिल किया जा सकता है।

5. सड़क निर्माण/मरम्मत/रिनोवेशन कार्यो की RUDSICO स्तर पर प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

6. जिन सड़कों निर्माण एवं सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Road Repair/Renovation) कार्य गत 2 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17) में करवाया गया है, उन सड़कों का निर्माण एवं सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्य इस वर्ष में नहीं करवाया जावे। क्योंकि सम्भवतः उन सड़कों को तीन वर्षो के लिये Defect Liability Period में शामिल किया हुआ होगा।

7. नई सड़क निर्माण कार्य हेतु Defect Liability Period 3 वर्ष होगा एवं पेच मरम्मत/रिकॉरपेट कार्य की DLP 6 माह होगा।

8. नगर निगम, जयपुर के क्षेत्राधिकार के लिये सड़क निर्माण/सुधार/मरम्मत कार्यो हेतु निविदा प्रक्रिया एवं कार्य क्रियान्वित (Work execution) करने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही नगर निगम, जयपुर द्वारा सम्पारित की जावेगी।

9. सड़क निर्माण/सुधार/मरम्मत कार्यो हेतु RUDSICO द्वारा सम्भागवार/जिलेवार पैकेजेज बनाये जावे। सड़क निर्माण/सुधार/मरम्मत कार्यो हेतु बिड़ डॉक्यूमेंट तैयार करने, निविदा सूचना का प्रकाशन (NIB), निविदायें प्राप्त करना व खोलना, निविदा मूल्यांकन व स्वीकृति से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही एवं कार्य क्रियान्वित (Work Execution) करने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही RUDSICO द्वारा सम्पादित की जावेगी। उक्त कार्यो में PDMC द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

10. सड़क निर्माण/मरम्मत/रिनोवेशन कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति एवं दरों के अनुमोदन एवं कार्यों की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार **निविदा अनुमोदन समिति** का गठन किया जाता है :—

1.	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, RUDSICO	अध्यक्ष
2.	निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
3.	मुख्य अभियन्ता, निदेशालय	सदस्य
4.	मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय	सदस्य
5.	महाप्रबन्धक (वित्त), RUDSICO	सदस्य
6.	मुख्य अभियन्ता, RUDSICO	सदस्य
7.	कार्यकारी निदेशक, RUDSICO	सदस्य सचिव

11. **समस्त नगर निकायों के लिये प्राप्त** निविदाओं को खोलने, निविदाओं में प्राप्त दरों का **परीक्षण/मूल्यांकन करने तथा आवश्यकता** होने पर नेगोशियेशन करने एवं निविदा की **समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर अभिशंषा करने** हेतु निम्नानुसार **निविदा मूल्यांकन समिति** का **गठन किया जाता है :—**

1.	कार्यकारी निदेशक, RUDSICO	अध्यक्ष
2.	**मुख्य अभियन्ता, निदेशालय**	सदस्य
3.	**मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय**	सदस्य
4.	**महाप्रबन्धक (वित्त), RUDSICO**	सदस्य
5.	**मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता**/अधीक्षण अभियन्ता **सम्बन्धित नगर निकाय।**	सदस्य
6.	**मुख्य अभियंता/PD(UI), RUDSICO**	सदस्य सचिव

12. **उक्त कमेटी निविदा में प्राप्त दरों के** अनुमोदन के सम्बन्ध में अभिशंषा करते हुये **निविदा की स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय** मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग को **प्रेषित करेगी।**

13. **निविदाओं की स्वीकृति** उपरान्त **RUDSICO द्वारा सम्बन्धित** संवेदकों को Letter of Indent **जारी किये जायेंगे। सड़क/नाली निर्माण/सुधार** (Restoration) कार्यो के कार्यादेश **सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा जारी किये जायेंगे** एवं संवेदकों से काय का अनुबन्ध **(Work Contract Agreement) सम्बन्धित नगर निकाय** द्वारा अपने स्तर पर किया **जावेगा।**

Scanned by CamScanner

14. जिन नगर निकायों में RUIDP/RUDSICO द्वारा सीवरेज प्रोजेक्ट्स के कार्य करवाये गये हैं/करवाये जाने प्रस्तावित हैं, वहां विभाग के पत्रांक : 1396–1586 दिनांक 22.09.2017 के निर्देशानुसार उन नगर निकाय क्षेत्रों में RUIDP/RUDSICO द्वारा जब तक सीवरेज प्रोजेक्ट्स कार्य पूर्ण कर नगर निकायों को हस्तान्तरित नहीं कर दिये जाते हैं, तब तक नगर निकायों द्वारा इन क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण/सुधार/पुनर्रूद्धार (Road Restoration/Renovation) का कार्य नगर निकायों द्वारा स्वयं के स्रोतों/संसाधनों से नहीं करवाया जावे।

15. नगर निकाय क्षेत्र में स्थित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार की सड़कों के निर्माण निर्माण/सुधार/पुनर्रूद्धार (Road Restoration/Renovation) का कार्य सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा। विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास, राजस्था आवासन मण्ड़ल, सार्वजनिक निर्माण विभाग से नगर निकायों को हस्तान्तरित हो चुकी सड़कें/ कॉलानियों में सड़क–नाली सुधार/मरम्मत का कार्य सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा किया जावेगा।

16. नगर निकाय क्षेत्र में स्थित NHAI के क्षेत्राधिकार की सड़कों को नवनिर्माण एवं मरम्मत/पेच रिपेयर/सुधार कार्यो हेतु सम्मिलित नहीं किया जावे।

17. सम्बन्धित जिला कलेक्टर अपने जिले की सभी नगर निकायों द्वारा कराये जाने वाले सड़क मरम्मत कार्यो की समय–समय पर प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निरीक्षण हेतु भी निर्देशित करेंगे।

18. सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार अधिशाषी अभियन्ता करेंगे। इस कार्य हेतु नगर निकाय में उपलब्ध सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नियमित रूप से Supervision किया जावेगा। सड़क सुधार/मरम्मत कार्यो का समय–समय सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण एवं सुपरविजन किया जावेगा। सड़क मरम्मत का कार्य त्वरित रूप से हो तथा कार्य की गुणवत्ता का पूरा–पूरा ध्यान रखा जावे। सड़क निर्माण/सुधार कार्यो की मात्रा एवं गुणवत्ता (Quantity & Quality) के लिये सम्बन्धित अभियन्ताओं के साथ–साथ सभापति/अध्यक्ष एव आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

19. सम्बन्धित सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा बिल अनुमोदित/पारित करने के उपरान्त संवेदकों को निर्माण/मरम्मत कार्यो के बिलों का भुगतान सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा ऑनलाईन RTGS/PFMS के माध्यम से किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

20. सड़क निर्माण एवं सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्यो हेतु निविदाओं में प्राप्त दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

21. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत कम्पनियों, दूरसंचार विभाग/ कम्पनियों द्वारा जिन सडकों को तोड़कर कार्य करवाया जाता है, उन खोदी गई सडक को संबंधित विभाग/कम्पनियों/ठेकेदार के खर्चे पर गुणवत्ता के साथ मरम्मत कराया जाये तथा सडक मरम्मत के पश्चात एक वर्ष तक रोड़ कट्स की अनुमति नहीं दी जावे।

22. नगर निकाय क्षेत्र में सड़को के निर्माण/मरम्मत के कार्य करवाने हेतु RUDSICO स्तर पर निविदायें आमंत्रित करने की विज्ञप्ति (NIB) प्रकाशित की जावेगी एवं निविदा प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की जावेगी।

23. निविदा सम्बन्धी कार्यवाही के लिये निम्नानुसार तिथियाँ निर्धारित की जाती है :-

क्रम सं.	किया जाने वाला कार्य	दिनांक
1.	RUDSICO स्तर पर निविदा सूचना जारी करना	1 नवम्बर, 2017
2.	ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल निविदाये प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	4 दिसम्बर, 2017 अपरान्ह् 3.00 बजे तक
3.	ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्राप्त तकनीकी बिड़ को खोलने की तिथि	4 दिसम्बर, 2017 सायं 4.00 बजे
4.	प्राप्त तकनीकी बिड़ का मूल्यांकन करना	5 दिसम्बर, 2017
5.	तकनीकी रूप से योग्य पाये गये बिडर्स की वित्तीय बिड़ खोलना	6 दिसम्बर, 2017 सायं 4.00 बजे
5.	यदि आवश्यक हो, तो प्राप्त दरों के सम्बन्ध में न्यूनतम निविदादाता से नेगोसियेशन करना	8 दिसम्बर, 2017
6.	प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत कर कार्यादेश जारी करना।	13 दिसम्बर, 2017
7.	सड़क निर्माण एवं सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) के कार्यो को पूर्ण करना	30 सितम्बर, 2018 तक

24. नगर निकायों में सड़क निर्माण व मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्यो के तकनीकी मापदण्ड़ानुसार निरीक्षण करने हेतु RUDSICO द्वारा तृतीय पक्ष (Third Party) नियुक्त किया जावे।

25. सड़क निर्माण व मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्य से सम्बन्धित सूचनाओं को ऑनलाईन करने के लिये RUDSICO द्वारा Webportal/App तैयार किया जावे। RUDSICO/नगर निकायों द्वारा उक्त Webportal/App पर सड़क निर्माण/रिपेयर से सम्बन्धित सूचनायें अपलोड़ की जावे। नई सड़क एवं रिकॉरपेटिंग सड़कों की geo tagging की जावें।

Scanned by CamScanner

26. सम्भाग मुख्यालय के नगर निगमों में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता अपने क्षेत्राधिकार/सम्भाग की नगर निकायों में सड़क निर्माण व मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनरुद्धार (Renovation) कार्यों का सुपरविजन एवं मोनेटरिंग करते हुये नगर निकायों की सड़कों के निर्माण/मरम्मत से सम्बन्धित समस्याओं का तत्काल समाधान भी करेंगे।

27. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) अपने क्षेत्राधिकार की नगर निकायों का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे एवं नगर निकाय क्षेत्रों के सड़क मरम्मत कार्यों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट से निदेशालय को ई–मेल dlbrajasthan@gmail.com एवं रूड़सिको कार्यालय को ई–मेल rufdico@gmail.com पर अवगत करायेंगे।

यह आदेश समस्त नगरीय निकायों पर तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ. 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2017/सड़क निर्माण/3077- दिनांक : 13.10.20..
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : 3425

1. **निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री** महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. **विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय,** नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (जिला प्रभारी सचिव), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
13. परियोजना निदेशक, RUIDP. जवाहर सर्किल, जयपुर।
14. कार्यकारी निदेशक, RUDSICO. लालकोठी स्कीम, जयपुर।
15. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव (I, II, & III), नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।

Scanned by CamScanner

26. सम्भाग मुख्यालय के नगर निगमों में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता अपने क्षेत्राधिकार/सम्भाग की नगर निकायों में सड़क निर्माण व

19. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर।
20. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
21. मुख्य अभियन्ता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
22. मुख्य अभियन्ता (शहर), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग जयपुर।
23. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, समस्त नगर निगम (सम्भाग प्रभारी), राजस्थान।
24. अधिशाषी अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/(जिला मुख्यालय), समस्त राजस्थान।
25. सुरक्षित पत्रावली।

[redacted]

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner